न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– **राजेश कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या :– **351 / 2022**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2022 / 538**

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

गोरधनराम पुत्र दानाराम
जाति जाट
निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.देवराज पुत्र भलाराम जाति सुथार
2.अचलाराम पुत्र केसाराम
3.ढलाराम पुत्र केसाराम
4.नरसिंगाराम पुत्र केसाराम
5.पुखराज पुत्र केसाराम
6.मथरादेवी पत्नी केसाराम
7.रेशमीदेवी पत्नी केसाराम
जाति मेगवाल निवासी मूगड़ा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
8.धेवरराम पुत्र शंकराराम जाति प्रजापत
9.गौतम पुत्र शंकराराम जाति प्रजापत
10. नारणाराम पुत्र शंकराराम
11.सुरेश पुत्र शंकराराम जाति प्रजापत
12.दिलीप पुत्र शंकराराम जाति प्रजापत
13.जीवाराम पुत्र शंकराराम
जाति प्रजापत निवासी मूगड़ा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
14.आयुक्त नगरपरिषद बालोतरा
15.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02,3 व 05
3. विप्रार्थी संख्या 01,4 व 6 से 14 एकपक्षीय
4. विप्रार्थी संख्या 15 अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 03.05.24

1.संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1172/249 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1172/249 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 02,03 व 05 की ओर से वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 4 एवं 6 से 14 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 02,03 व 05 अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1172/249 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अतःप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1172/249 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी करने के आदेश किए जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 02,3 व 05 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही प्रार्थी की सेढ माढ को नुकसान पंहुचाया गया है। प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना बताया है। जबकि विप्रार्थी पक्ष द्वारा कभी भी प्रार्थीकी सीमाओं को लेकर विवाद नहीं किया है,बल्कि उल्टे प्रार्थी की ओर से आए दिन विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से हस्तगत प्रकरण पेश किया है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1172/249 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की आवगी खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26.6.2018 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1172/249 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगो। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 03.05.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा